छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)
फोन नं0 0771–4058613, 4066212, 4057257 फैक्स 4066214

क्र./सावित्र/अनु.स्कंध/82/2013–14/ 1474 रायपुर दिनांक : 23/11/2013

//निविदा विक्रय सूचना//

निगम के निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शित मात्राओं में अनुपयोगी गीली एवं स्वीपेज शक्कर संग्रहित है जिसे "जहाँ है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जाना है अतः इच्छुक क्रेताओं से उनके लेटर हेड पर ऑफर आमंत्रित है दरे ऑल टैक्स पेड, मय बारदाने तथा शुद्ध वजन हेतु प्रस्तुत किया जावे। विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री निम्नानुसार है :–

(मात्रा क्विंटल में)

क्रमांक	जिला का नाम	शक्कर	
		स्वीपेज	गीली
1	2	3	4
1	रायपुर	649.28	76.54
2	दुर्ग	114.35	00
3	बालोद	145.30	00
4	बिलासपुर	151.53	250.56
5	रायगढ़	191.11	00
6	सूरजपुर	163.13	00
7	जगदलपुर	113.68	00
योग		**1528.38**	**327.10**

2. इच्छुक केताओं से बंद लिफाफे में लेटर पेड पर दरे दिनांक 16.12.2013 को दोपहर 2.00 बजे तक निगम मुख्यालय, हितवाद प्रेस, अवंति विहार, रायपुर में प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिनांक को समिति तथा ऑफरदाताओं के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे ऑफर खोले जायेंगे, निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त ऑफर अवैध माना जावेगा। निविदा विवरण **www.cg.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. स्कंध का विक्रय "जहॉ है जैसा है" के आधार पर किया जावेगा, संग्रहित मात्रा कम–ज्यादा हो सकती है अतः इच्छुक केता संग्रहित स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता से भली–भांति ज्ञात हो लेवें अन्यथा ऑफर स्वीकृति के उपरांत मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रस्तुत किसी प्रकार की पत्राचार मान्य करने योग्य नहीं होगा।
4. ऑफर के साथ स्वीपेज/गीली शक्कर हेतु रू. 400.00 (चार सौ मात्र) प्रति क्विंटल, की अमानत राशि राष्ट्रीकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो कि छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि. रायपुर के पक्ष देय हो संलग्न करना अनिवार्य है बगैर अमानत राशि के प्राप्त ऑफर निरस्त माना जायेगा।
5. सफल ऑफरदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति उपरांत शत–प्रतिशत मात्रा की राशि सात दिवस में जमा कर निर्धारित अनुबंध निष्पादन उपरांत स्कंध की डिलेव्हरी लेना अनिवार्य होगा, यदि ऑफरदाता द्वारा दरें स्वीकृति उपरांत स्कंध की डिलेव्हरी नहीं ली जाती है तो ऑफर के साथ प्राप्त अमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जायेगी।

6. भंडारित स्कंध की डिलेव्हरी एक सिरे से दिया जायेगा, स्कंध छांट कर प्रदाय नहीं किया जायेगा, डिलेव्हरी के दौरान अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता होने पर केता को बारदाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

7. संग्रहित अनुपयोगी स्कंध मानव उपयोग के लायक नहीं है, एवं केता द्वारा स्कंध प्राप्ति के दौरान यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि प्राप्त स्कंध मानव उपयोग हेतु नहीं लाया जायेगा, केता द्वारा शपथ पत्र का उल्लंधन किया जाता है तो घटित घटना के लिये संपूर्ण जवाबदारी केता की होगी।

8. स्कंध की डिलेव्हरी केता को स्वयं के व्यय पर अनुबंध दिनांक से 20 दिवस में डिलेव्हरी लेना होगा, समयावधि समाप्ति उपरांत स्कंध की डिलेव्हरी नियमानुसार ब्याज एवं भंडारण शुल्क की राशि निगम में जमा कराने के पश्चात् अधिकतम 10 दिवस का अतिरिक्त समय–सीमा बढ़ाई जा सकेगी, इसके बाद भी डिलेव्हरी नहीं लेने पर जमा राशि राजसात की जायेगी।

9. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

10 सभी विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ होगा।

प्रबंध संचालक